निर्णय

12.3.2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

अनिल बनाम श्योपतराम आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53,88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 96 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28.02.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 10.03.02025 को पेश हो।	
03.03.2025	वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र मियाद पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकलाए फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादी श्योपतराम ने लिखित वकील अनिल कुमार उपस्थित आकर वकालत नामा पेश किया। जिसे शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब आईन्दा तारीख 10.3.2025 को पेश हो।	श्योपतराम
अनिल प्र. वर्मा		कृष्णा हरविन्द प्र. वर्मा
10.3.25	वकलाए फरीकेन उपस्थित/PU माहेर अग्रवाल पेश हुए। पत्रावली [illegible] मारफत [illegible] दिनांक 12.3.25 को पेश हो	
12.3.2025	वकलाए फरीकेन उपस्थित। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वादी प्रतिवादी की सहमति के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया जाकर [illegible] नकल की जाकर वाद [illegible] तकमील जब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.03.29 16:23:02 IST
Reason: SelfAttested